MULTIPURPOSE TRADING AND AGENCIES LIMITED
(CIN Number- L70101DL2002PLC115544)
Phone/ Fax: 011-26316162, 011-26919899
Website : www.multipurposetrading.in E-mail: Info@multipurposetrading.in
Regd. Office: B-1, Kalindi Colony, New Delhi-110065

Date: 19/05/2024

To,
BSE Limited
Corporate Relationship Department
Floor 25, PJ Towers, Dalal Street
Mumbai 400 001

Subject: Newspaper clipping of the notice of Board Meeting.

SCRIP CODE - 504356

Dear Sir,

The advertisement in newspaper, published as per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for intimation of Board Meeting to be held on 30th May, 2024 is enclosed for your kind reference & records.

Please take the above intimation on records and kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours sincerely,

For **Multipurpose Trading and Agencies Ltd.**
For Multipurpose Trading & Agencies Ltd.

Ashish Singh Managing Director/Chairman
Managing Director

Encl: Copy of the Notice in News paper

Arvind Kejriwal likens India's situation to 'Putin's Russia', slams 'dictatorship'

NEW DELHI, OPEN SEARCH

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Friday likened the situation in the country to that in Russia, claiming there is a "dictatorship", and opposition leaders are being put in jail. Kejriwal was addressing Punjab Aam Aadmi Party workers and leaders, including MLAs and MPs, asking them to put in their best to ensure the party's victory in all 13 Lok Sabha seats in the state. He slammed the BJP, accusing it of putting all rival party leaders in jail. "The dictatorship that is going on in our country is not acceptable. India has never seen such a period in the past 75 years -- putting opposition leaders in jail," the AAP chief said.

"Like in Russia, (Vladimir) Putin had either sent all rival leaders in jail or got them killed and then conducted the elections and got 87 per cent votes. When there is no opposition, you will be the only one to get the votes," he said. Kejriwal was granted bail by the Supreme Court in the Delhi excise policy case on May 10 to allow him to campaign in the Lok Sabha elections. He will be back in jail on June 2. "They put me in jail, (former Delhi deputy CM) Manish Sisodia was put in jail, Congress party's bank account was attached, (they) are troubling TMC, (Tamil Nadu CM MK) Stalin's ministers have been put in jail. "Put everyone in jail. Then only one party and one leader will remain but democracy will not survive. We do not have to let this happen," said Kejriwal. The AAP national convenor alleged that two CCTV cameras were installed in his cell in Tihar jail, and he was monitored round the clock as to what he was doing in the prison. "When I got up, how much time I spent in the bathroom, when I got out, how much time I remained in the toilet," he further said on his allegation of being monitored. He alleged that the CCTV feed of his cell was monitored by 13 officers for 24 hours. "I was told that one feed used to go to the PMO, and it was monitored on two TV sets to see what Kejriwal is doing in the cell," he claimed. "They tried to break me. I used to do meditation and read books. I have inner strength," he further said. Hitting out at the BJP, Kejriwal alleged that the motive of the party was to arrest him and thereafter, the party would break and the government would topple. "But the exact opposite happened. AAP is a family and when a family faces any problem, then all of them get together," he said. Nothing will happen with the arrest of one Kejriwal and nothing will affect AAP, he said, adding that each worker is Kejriwal. The Delhi chief minister claimed that as per jail manual, if the superintendent wishes then a meeting can be arranged in a room. When Punjab Chief Minister Bhagwant Mann came to meet him in jail, his meeting was not arranged in a room, he alleged. Kejriwal asked party leaders and officer bearers to work hard to ensure victory in all 13 seats in Punjab. "I have to surrender on June 2. I will go back to jail. When the result comes on June 4, I will be watching TV in jail. I will be very satisfied if I come to know that 13 seats are won by AAP in Punjab. Do not disappoint me," said the AAP leader. Kejriwal came to Punjab on Thursday.

"The dictatorship that is going on in our country is not acceptable. India has never seen such a period in the past 75 years -- putting opposition leaders in jail," the AAP chief said.

Constitution bench verdict 'binding' on benches of lesser strength, says Supreme Court

NEW DELHI, OPEN SEARCH

A judgement of a Constitution bench would be "binding" on benches of lesser strength, the Supreme Court has held while recalling its April 2022 verdict in a matter related to land which was meant exclusively for common use by the inhabitants of a village in Haryana. In its order dated April 7, 2022, the apex court had held that a panchayat cannot claim ownership of the land which has been taken from the real owners from their permissible ceiling limits under the land law in Haryana. The apex court had consequently said panchayats can only manage and control the land which has been taken from the owners and cannot claim title. "It is pertinent to note here that for the land taken from the proprietors by applying pro-rata cut from the permissible ceiling limits of the proprietors, management and control alone vests with the panchayat but such vesting of management and control is irreversible and the land would not revert to the proprietors for redistribution as the common purposes for which land has been carved out not only include the present requirements but the future requirements as well," it had said. The top court had delivered the verdict on a batch of appeals against a full bench verdict of the Punjab and Haryana High Court which had examined the legality of sub-section 6 of Section 2(g) of the Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961. In a judgement delivered on Thursday, a bench of Justices B R Gavai and Sandeep Mehta said that when the high court verdict rested on the law laid down by the apex court's Constitution bench in 1966, "the least that was expected" of the court in the judgement under review was to explain as to why the high court was wrong in relying on the 1966 verdict. "No law is required to state that a judgement of the Constitution bench would be binding on the benches of a lesser strength.

Rashtriya Samaj sudhar sangathan issue Whip for all over India Urges unconditionally vote and support to Modi mission for Women's Reservation Bill

NEW DELHI : OPEN SEARCH

RASHTRIYA SAMAJ SUDHAR SANGATHAN New Dehli Urges Voters for Unconditional Vote & Support to PM Moodi ...Praises Women's Reservation Bill, 2023 RASHTRIYA SAMAJ SUDHAR SANGATHAN New Dehli is Non- political Organisation throughout India.

This Organisation is known as BHARAT KI AWAZ which tries to make our Society Displned. In a Statement Advocate Zargar Patnavi Said Modi Govt passed the first legislation considered in the country's new Parliament building: the Women's Reservation Bill, 2023. The bill, which passed both houses of Parliament almost unanimously—with just two votes against—will ensure that women occupy at least 33 per cent of the seats in state legislative assemblies and the Lok Sabha, the lower house of Parliament. In the Statement Advocate Zargar Patnavi said "This law will now enable greater participation of women in policymaking and equitable governance at the state and national levels", Advocate Zargar Patnavi said The inclusion of women will give the vast majority of the population a voice in how their lives should be run".

Delhi HC judge recuses from hearing plea for damages claiming BBC documentary cast slur on India

NEW DELHI, OPEN SEARCH

A judge of the Delhi High Court on Friday recused himself from hearing a plea by an NGO seeking damages from the British Broadcasting Corporation (BBC), claiming its documentary "India: The Modi Question" casts a slur on the country's reputation and makes false and defamatory imputations against Prime Minister Narendra Modi and the Indian judiciary. Justice Anup Jairam Bhambhani said he was recusing himself but did not assign any reason for it. The court said the petition be listed before another bench for hearing on May 22 subject to orders of the Acting Chief Justice. The high court had earlier issued notice to BBC (UK) and BBC (India) on the plea filed by Gujarat-based NGO Justice On Trial.

The plea has said BBC (UK) is the national broadcaster of the United Kingdom and has released the news documentary -- "India: The Modi Question" -- which has two episodes and BBC (India) is its local operations office. It said the two episodes were broadcast in January 2023.The petitioner has sought damages of Rs 10,000 crore in favour of the NGO and against the defendants on account of the "loss of reputation and goodwill caused to the Hon'ble Prime Minister of India, the Government of India, the Government of the State of Gujarat as it was during the period of the Gujarat Riots, and also the people of India". The documentary relates to the 2002 Gujarat riots when Modi was the state's chief minister.

The government had banned the documentary soon after it was released. The plaintiff organisation, which says it is a society registered under the Societies Registration Act, 1860 and also registered as a Public trust under the provisions of the Bombay Public Trust Act, 1950, has filed the suit for damages. The NGO has also filed an Indigent Person Application (IPA) which enables an indigent person to file a lawsuit. It has contended that the documentary contains content which casts a slur on the reputation of the country and also makes false and defamatory imputations and insinuations against the Prime Minister of India, the Indian judiciary and the Indian criminal justice system. The plea claimed the "disparaging and defamatory" statements of the defendant have caused grave and irreparable injury to the reputation of and denuded the goodwill that has been built by the Prime Minister of India.

Briefs News

'Political hitman' back to old ways of saving himself: Swati Maliwal on video footage surfacing from Kejriwal's house

NEW DELHI. OPEN SEARCH : After a video went viral showing Swati Maliwal allegedly misbehaving with the staff at Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence, the Aam Aadmi Party's Rajya Sabha MP, who has accused the CM's PA of assault, junked the footage saying "like every time the political hitman is back to the old ways of saving himself". "Like every time, this time also, the political hitman has started efforts to save himself. By getting his people to tweet and playing videos without any context, he thinks he can save himself after commiting the crime," Maliwal said about the video. "The truth will be revealed to everyone as soon as the CCTV footage of the house and the room is checked. Fall to whatever level you can, God is watching everything. One day everyone's truth will come out in front of the world," Maliwal posted on X.

Haryana-based sharpshooter involved in Delhi car showroom firing killed in encounter

NEW DELHI. OPEN SEARCH : A shooter allegedly involved in firing at a car showroom in west Delhi was killed in an encounter with the Delhi Police Special Cell near the Shahbad Dairy area in the early hours of Friday, officials said. Ajay alias Goli was a sharpshooter of Portugal-based gangster Himanshu Bhau. He was travelling in a car and opened fire at the police team that intercepted him, an officer said. A native of Haryana's Rohtak, Ajay was involved in a dozen cases of murder, attempt to murder and those registered under the Arms Act in the state and in Delhi. He was also involved in the murder of a businessman in Murthal in Sonepat on March 10, according to the police. On May 6, Ajay along with Mohit Ridhau, 27, opened fire at a second-hand luxury car showroom in Tilak Nagar. Seven people were hurt as bullets hit glass doors and windowpanes. The shooters had left behind a handwritten note bearing the names of three gangsters -- Bhau, Neeraj Faridkot and Naveen Bali. The owner of the showroom got a call from an international number and the caller demanded Rs 5 crore from him as "protection money", police had said. Ridhau was later arrested from Kolkata.

SC to hear NGO's plea for release of voter turnout data for Lok Sabha polls within 48 hours

NEW DELHI. OPEN SEARCH : The Supreme Court on Friday agreed to grant an urgent hearing on a plea by an NGO seeking a direction to the Election Commission to upload polling station-wise voter turnout data on its website within 48 hours of conclusion of polling for each phase of the Lok Sabha elections. A bench of Chief Justice of India (CJI) D Y Chandrachud and Justices J B Pardiwala and Manoj Misra asked the counsel appearing for the Election Commission (EC) to take instructions and said it will hear the matter at the end of the board. The matter was mentioned by advocate Prashant Bhushan, appearing for NGO Association for Democratic Reforms (ADR), seeking urgent listing of the petition. Last week, the NGO filed an interim application in its 2019 PIL seeking directions to the poll panel that "scanned legible copies of Form 17C Part-I (Account of Votes Recorded)" of all polling stations be uploaded immediately after the polls.

Delhi HC laments denial of treatment by two hospitals to 12-yr-old boy

NEW DELHI : OPEN SEARCH

The Delhi high court on Friday expressed its displeasure over denial of treatment to a 12-year-old boy by two Delhi government hospitals due to unavailability of cotton swabs and doctors, lamenting that the incident was serious and shocking. A bench of justice Subramonium Prasad sought Delhi government's response in minor's plea seeking directions to the government to reimburse the medical expenses. The judge further directed the government to file a status report indicating the condition of the hospitals under it within ten days. "It is something very very serious and shocking," the bench remarked. The court expressed dismay days after a coordinate bench had directed the Delhi government to adopt measures to hire doctors.

In Supreme Court's order on Acquiring Private Property, A "Procedure" Caveat

NEW DELHI, OPEN SEARCH

Compulsory acquisition of private properties will be unconstitutional if proper procedure is not established or followed before depriving a person of their right to property, the Supreme Court said on Thursday.

In a significant verdict, the top court said even the statutory scheme of payment of compensation in return for acquisition of private properties will not be justified if the due procedure is not followed by the state and its instrumentalities. While making the observations, a bench comprising justices PS Narasimha and Aravind Kumar dismissed the appeal of the Kolkata Municipal Corporation. The civic body had approached the top court challenging the judgment of a division bench of the Kolkata High Court which had quashed acquisition of a property at Narkeldanga North Road in the city for constructing a park. The high court had held that the civic body had no power under a specific provision to go for compulsory acquisition. "We are of the considered opinion that the High Court was fully justified in allowing the writ petition and rejecting the case of the appellant-Corporation acquiring land under Section 352 of the Act. The impugned judgment does not brook interference on any count," the top court said in its 32-page judgment. "Under our constitutional scheme, compliance with a fair procedure of law before depriving any person of his immovable property is well entrenched," Justice Narasimha said. "Again, assuming that Section 363 of the Kolkata Municipal Corporation Act provides for compensation, compulsory acquisition will still be unconstitutional if proper procedure is not established or followed before depriving a person of their right to property," it said. It said undue emphasis is laid on the provisions of compensation to justify the power of compulsory acquisition, as if compensation by itself is the complete procedure for a valid acquisition. "While it is true that after the 44th Constitutional Amendment, the right to property drifted from Part III (fundamental rights) to Part XII of the Constitution, there continues to be a potent safety net against arbitrary acquisitions, hasty decision-making and unfair redressal mechanisms," it said. The Article 300A (right to property) of the Constitution says that "no person shall be deprived of his property.

Swati Maliwal records statement at Tiz Hazari court; police to reach CM Kejriwal's house to probe assault case

NEW DELHI, OPEN SEARCH

The Delhi police FIR in the Swati Maliwal assault case reveals a harrowing account of physical and mental abuse she allegedly suffered at the hands of Arvind Kejriwal's private secretary Bibhav Kumar at the CM house on May 13.

The Rajya Sabha MP of the Aam Aadmi Party in her graphic account of the day alleged that as she was waiting to meet Kejriwal, Kumar barged into the drawing room and began assaulting her without any provocation. "Suddenly, Kumar barged into the room and started screaming without any provocation and abusing me. I was stunned by this and asked him to stop talking to me like that and to call the chief minister. He told me, "Tu kaise hamari baat nahin maanegi, samajhti nahin, neech aurat, tujhko hum sabak sikhanyenge," the FIR says about the alleged attack.

The MP alleged that "without any provocation, Kumar started slapping me. He slapped me seven to eight times while I continued screaming. I was shocked and was screaming for help. I pushed him away with my legs. Then, he pounced on me, brutally dragged me and deliberately pulled my shirt up. My shirt buttons opened and the shirt went up," the FIR says. The former Delhi Commission for Women chief alleged that he hit her head on the table after which "Kumar kicked me in the chest, stomach and pelvis area". "I was in extreme pain and kept asking him to stop. But he continued to assault me. I repeatedly told him that I was having periods and he should please let me go as I was in a lot of pain. However, he attacked me with full force again and again," Maliwal alleged. She said she somehow got free, sat on the sofa and dialled 112 for help following which Kumar called the CM staff and asked her to leave. "I gathered my spectacles which had fallen on the ground. I was in a state of shock, deeply traumatised and called 112 to report the attack. Maliwal claimed that the CM was present at the house while the assault went on and she was waiting to meet him. Maliwal said she was not allowed to wait for the Delhi PCR to report the assault though she told the CM house staff what had happened.

"I then walked towards my previous residence in Civil Lines, sat on the ground there for some time and someone called an auto-rickshaw for me. I was in terrible pain, traumatised and shattered. Somehow, I mustered the strength and asked the auto-rickshaw driver to go to Civil Lines police station. I reached there and sat in the SHO's room. While crying I informed the SHO of the incident," Maliwal said. She said she was in terrible pain and had severe cramps. "Due to the trauma, pain and not wanting to politicise the incident, I left the police station without filing a written complaint," she said describing how her head was paining and arms and legs were terribly shaking due to the assault.

"The past few days since the incident have been extremely painful for me. It is one of the most difficult times of my life. The pain, trauma and harassment has been mind-numbing. My head and neck have been hurting constantly since the attack. My arms are sore and my abdomen is also paining. I am having difficulty walking.

MULTIPURPOSE TRADING AND AGENCIES LIMITED

(CIN NUMBER- L70101DL2002PLC115544)
Regd. Office: B-1, Kalindi Colony, New Delhi-110065
Phone/ Fax: 011-26316162, 011-26919899
Website: www.multipurposetrading.in
E-mail: info@multipurposetrading.in

Notice of Board Meeting

Notice is hereby given pursuant to provision of the Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 that the meeting of the Board of Directors of the Multipurpose Trading and Agencies Limited will be held on Thursday, the 30th Day of **May, 2024** at **11:30 a.m.**, at the Corporate office of the Company D-2, Kalindi Colony, New Delhi-110065 Inter-alia, to consider and approve, the Audited Financial Results of the Company for the Quarter/half year and year ended on **March 31, 2024** and reports thereon and other matter with the permission of Chair, if any. Information in this regards is being also made available on the website of the Company i.e. **http://multipurposetrading.in**

For Multipurpose Trading and Agencies Limited
Sd/-
Ashish Singh
Director
DIN: 00066423

Date: 18/05/2024
Place: Delhi

एक नज़र

दिल्ली कार शोरूम गोलीबारी : पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया हमलावर

नई दिल्ली (एजेंसी) पश्चिम दिल्ली में एक कार शोरूम में गोलीबारी में कथित तौर पर शामिल एक शूटर दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई के साथ मुठभेड़ में मारा गया। यह मुठभेड़ शुक्रवार तड़के शाहबाद डेयरी इलाके के पास हुई। अजय उर्फ गोली पुर्तगाल निवासी कुख्यात अपराधी हिमांशु भाऊ का शार्पशूटर था। एक अधिकारी ने बताया कि वह एक कार से जा रहा था और जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं। पुलिस के अनुसार अजय हरियाणा के रोहतक का मूल निवासी था और वह राज्य और दिल्ली में हत्या, हत्या के प्रयास तथा शस्त्र अधिनियम के तहत अपराधों समेत एक दर्जन मामलों में शामिल था।

घर से मतदान : पहले दिन 1,480 से अधिक मतदाताओं ने सुविधा का किया उपयोग

नई दिल्ली (एजेंसी) राजधानी में बृहस्पतिवार को घर से मतदान के पहले दिन सभी सात लोकसभा क्षेत्र में 1,480 से अधिक दिव्यांग और वृद्धजनों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों से मिली। घर से वोट देने की सुविधा दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जा रही है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा कि 16 मई से शुरू हुई यह सुविधा 24 मई तक उपलब्ध रहेगी।

आगामी 25 मई को दिल्ली में मतदान होगा। पश्चिम दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों ने घर से मतदान किया जहां 338 बुजुर्ग मतदाताओं सहित 406 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया, जबकि पूर्वोत्तर दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में किसी ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया।

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत रही है सभी सातों सीट : शिव कौशिक

नई दिल्ली (एजेंसी) भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता शिव कौशिक ने कहा की दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी सभी सात सीटों पर बड़े अंतराल के साथ जीतने जा रही है दिल्ली की जनता का विश्वास उसके साथ बरकरार है और इसका लाभ उन्हें मिल रहा है। शिव कौशिक ने कहा कि इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए हो रहा है और पार्टी का नारा इस बार 400 पर का है और इसमें हमें पूरी सफलता मिलने जा रही है विपक्षी भले ही अपनी बौखलाहट में कुछ भी कहते रहे लेकिन मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे रहे हैं आने वाली 25 तारीख को दिल्ली के मतदाता भी सभी सीटों पर भाजपा को जीतने जा रहे हैं इसमें कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है इसलिए साफ हो चुका है कि भाजपा जीतने जा रही है।

स्वाति को खुद लड़ना होगा अब कोई कृष्ण भगवान बचाने नहीं आयेंगे : नवीन जहिंद

नई दिल्ली (एजेंसी) जयहिंद सेना प्रमुख डॉ नवीन जयहिंद ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट में दर्ज एफआईआर को लेकर कहा कि अब तक जो इस पुरे मामले को झूठ बता रहे थे उन्हें अब सच पता चल गया होगा कि स्वाति के साथ मारपीट किस साजिश के तहत हुई है।

हालाँकि अभी तक उनके पास कोई एफआईआर कॉपी नहीं आई है लेकिन मीडिया के हवाले से जो सुचना उन्हें मिली है उससे साफ़ है कि स्वाति के साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ। कितनी बुरी तरह से उसे पिटा गया है। जयहिंद ने कहा कि दिल्ली पुलिस से अपील है इस मामले की पूरी तह तक जांच की जाए और वो अपराधी जो भागता फिर रहा है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उससे इस पूरी घटना के बारे में उगलवाया जाये।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा जेल के उनके सीसीटीवी फुटेज प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जाते थे

अमृतसर.एजेंसी

केजरीवाल एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि इस बार पंजाब आने का उनक कोई खास एजेंडा नहीं था।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि जेल में बैरक के बाहर उनकी निगरानी के लिये दो सीसीटीवी कैमरे लगे हुये थे और जेल के 13 अधिकारी उनके ऊपर 24 घंटे नजर रखते थे, और उसके फुटेज प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जाते थे।

केजरीवाल एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज अमृतसर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि इस बार पंजाब आने का उनक कोई खास एजेंडा नहीं था। वह इस बार यहां पंजाब के लोगों और अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आये हैं। जेल में उन्हें उन लोगों की बहुत याद आती थी। केजरीवाल ने भाजपा की आलोचना करते हुये कहा कि भाजपा को लगता था कि उन्हें गिरफ्तार करके वह आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक परिवार है और परिवार में जब मुसीबत आती है, तो सब और इकट्ठे हो जाते हैं, अलग-अलग बिखरते नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने वैसा ही किया, और सब लोग भी इकट्ठे हो गये। इससे उनको संदेश चला गया कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है। यहां हर कार्यकर्ता खड़ा होकर कमान संभालेगा और किसी भी हालत में पंजाब को और देश झुकने नहीं देगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल अधिकारियों ने जानबूझकर उन्हें और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को कमरे में नहीं मिलने दिया, जबकि जेल नियमावली के अनुसार वे हम दोनों की मुख्यमंत्री के नाते एक कमरे में मुलाकात करा सकते थे।

यह सब जेल नियमावली में लिखा हुआ है, यह प्रावधान है। यहां से पंजाब पुलिस और मुख्यमंत्री कार्यालय लिखकर भेजता था कि पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के लिये आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनकी कमरे में बैठक नहीं करवाई। केजरीवाल ने कहा कि जेल में उनकी हरेक गतिविधि पर नजर रखते थे, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि हम सच के आधार पर जीते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों ने जेल में उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की। उन्हें 20 साल से शुगर की बीमारी है। पिछ्ले 10 सालों से वह रोज 52 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, यह जानते हुये उन्होंने उनकी जेल में इंसुलिन बंद कर दी, जिसके कारण मेरा सुगर लेवल काफी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा दिनों तक किसी व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो उसका लीवर और किडनी भी खराब हो सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उन पर कृपा करते हुए उन्हें 21 दिनों के लिये जमानत मंजूर कर ली। अब वह इन 21 दिनों में एक एक पल देश से इस तानाशाही सरकार को खत्म करने के लिये काम करुंगा। केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं से अपील की कि अभी चुनाव प्रचार के लिए 10-12 दिन बचे हैं। इन 10-12 दिनों में इतनी मेहनत करें, कि पार्टी पंजाब की सभी 13 सीटें जीत जायें। चुनाव के नतीजे वाले दिन चार जून को वह जेल में रहें लेकिन वह टीवी पर चुनाव नतीजे को देखेंगे। उन्हें पूरा भरोसा है कि आप लोग उन्हें निराश नहीं करेंगे। मान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये कहा, जब मैं अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने जाता था, तो वह अपनी सेहत से पहले मुझसे पंजाब और दिल्ली के बारे में पूछा करते थे। मान ने कहा कि ईश्वर की कृपा से उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को 21 दिन के लिये जमानत मंजूर कर ली है। यह 21 दिन तानाशाहों के लिये बहुत खतरनाक साबित होंगे।

मालीवाल से बदसलूकी मामले में बिभव कुमार राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष नहीं हुए पेश

नई दिल्ली (एजेंसी)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ

कथित बदसलूकी के सिलसिले में शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के समक्ष पेश नहीं हुए। एनसीडब्ल्यू ने कुमार को सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा था। एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग की एक टीम बृहस्पतिवार को कुमार को नोटिस देने उनके आवास पर गई थी, लेकिन वह घर पर नहीं थे। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, 'कुमार की पत्नी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। मेरी टीम आज फिर पुलिस के साथ उनके आवास पर गई और अगर वह कल तक (एनसीडब्ल्यू के समक्ष) पेश नहीं होते हैं, तो हम पूछताछ करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाएंगे।' पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि सोमवार सुबह मालीवाल यहां सिविल लाइंस पुलिस थाने पहुंचीं और आरोप लगाया कि केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उन पर 'हमला' किया। एनसीडब्ल्यू ने मीडिया में प्रकाशित उस खबर का स्वत : संज्ञान लिया जिसका शीर्षक था 'पूर्व डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर हमला करने का आरोप लगाया'। उन्होंने (मालीवाल) दावा किया कि कुमार ने मुख्यमंत्री के आवास पर उन पर बेरहमी से हमला किया। दिल्ली पुलिस ने मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में बृहस्पतिवार को एक प्राथमिकी दर्ज की।

भाजपा ने जारी की आरोपों की चार्जशीट, कहा- कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लूट में भागीदार

नई दिल्ली (एजेंसी)

भाजपा ने अपने आरोपों में कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। उनके डिप्टी, मनीष सिसोदिया एक साल से जेल में हैं। सत्येन्द्र जैन भी पिछले 2 वर्षों से गिरफ्तार हैं।

दिल्ली भाजपा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोपों की एक चार्जशीट जारी की है। उसका नाम दिया गया है 'कांग्रेस और आप लूट में भागीदार'। चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष हैं विधायक विजेन्द्र गुप्ता। भाजपा ने अपने आरोपों में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं।

उनके डिप्टी, मनीष सिसोदिया एक साल से जेल में हैं। सत्येन्द्र जैन भी पिछले 2 वर्षों से गिरफ्तार हैं। जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए संघर्ष कर रही थी, तब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले के सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपये खर्च किए। भाजपा का कहना है कि जिम्मेदारी से बचने के लिए पिछले 9 सालों में अरविंद केजरीवाल ने किसी भी विभाग का कार्यभार नहीं संभाला। उन्होंने किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। जल बोर्ड, शराब और महिला सुरक्षा, कक्षा निर्माण और 1000 डीटीसी बसों की खरीद से जुड़े घोटालों ने शासन को रोक दिया है। टैक्सियों, ऑटो, डीटीसी और क्लस्टर बसों में लगे पैनिक बटन के ऑडिट में लगभग 100 करोड़ का घोटाला सामने आया। भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने जल माफिया पर नकेल कसने का वादा किया था। हालांकि, आप शासन में, जल माफिया अधिक शक्तिशाली हो गया। आप सरकार को राष्ट्र विरोधी ताकतों का साथ देने में कोई संकोच नहीं था। यह जेएनयू के ÷टुकड़े-टुकड़े÷ गिरोह के साथ खड़ा रहा और भारत के खिलाफ उनके नापाक मंसूबों में उनका बचाव किया।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर भारतीय सेना पर सवाल उठाए। भाजपा ने कहा कि एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया कि केजरीवाल ने 2014 में न्यूयॉर्क में एक बैठक के दौरान वित्तीय सहायता के बदले भुल्लर को रिहा करने का वादा किया था। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की कानून की डिग्री फर्जी पाई गई और उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करना पड़ा। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसने उनसे राशन कार्ड के लिए मदद मांगी थी। एक बिल्डर से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर आसिफ मोहम्मद को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। आप विधायक अमानतुल्ला खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अवैध भर्तियों और वित्तीय हेराफेरी से जुड़े एक मामले में फिलहाल जमानत पर हैं। भाजपा के मुताबिक मोहल्ला क्लिनिक आप सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक साबित हुई है। नकली दवाएं वितरित की जा रही हैं।

जैन आचार्य लोकेशजी, आलोक कुमारजी, इंद्रेश कुमारजी ने 'सीता संवाद' संगोष्ठी को संबोधित किया

नई दिल्ली.ओपन सर्च

रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा मालवीय स्मृति भवन में आयोजित 'सीता संवाद' संगोष्ठी को अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेशजी, विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ आलोक कुमारजी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ नेता श्री इंद्रेश कुमारजी एवं अनेक दिग्गजों ने संबोधित किया। अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक आचार्य लोकेश जी ने इस अवसर पर अपने दीक्षा प्रदाता जैनाचार्य आचार्य तुलसीजी का जिक्र करते हुये कहा कि उनके द्वारा रचित अग्निपरीक्षा ग्रंथ का आरंभ माँ सीता की आरती से होता है। उन्होने बताया कि नित्य आराधना में जैन श्रावक श्राविकाए जैन स्तुति के साथ साथ 16 महासतियों की आराधना करते है जिसमे माँ सीता भी शामिल है। आचार्यश्री ने कहा कि रामायण रिसर्च काउंसिल एक अद्भुत कार्य कर रहा है, इस शोध से समाज निर्माण को नए आयाम मिलेंगे। डॉ आलोक कुमार ने कहा कि रामायण पर शोध एवं उसकी शिक्षा से संतुलित समाज का निर्माण संभव है। बच्चों एवं युवाओं के संस्कार निर्माण मे रामायण एवं विभिन्न धार्मिक ग्रंथ एक सेतु का काम करेंगे। इंद्रेश कुमार ने कहा कि प्राचीन युग में नारी के सम्मान के साथ साथ उनका समाज कल्याण मे महत्वपूर्ण योगदान था। जिस समाज में नारी का विकास होता है वही समाज विकसित है। इस अवसर पर उपस्थित अनेक संतों ने अपने विचार व्यक्त करते मॉ सीता की जन्मस्थली में भव्य प्रतिमा व मन्दिर के निर्माण में सहयोग का संकल्प व्यक्त किया। आयोजकों ने इस अवसर पर सभी अतिथियों का उत्तरीय एवं मोमेंटों भेंट कर स्वागत किया।

स्वाति मालीवाल मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली (एजेंसी)

कार्यकर्ताओं ने कहा, 'महिलाओं की अस्मिता को सुरक्षित रखने में असमर्थ केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए।'

दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को चूड़ियां लेकर पहुंचीं भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने 'स्वाति मालीवाल पिटाई प्रकरण' में दिल्ली सरकार के ढुलमुल रवैये पर अपना गुस्सा जाहिर किया। कार्यकर्ताओं ने कहा, 'महिलाओं की अस्मिता को सुरक्षित रखने में असमर्थ केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

उन्हें अपने हाथों में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए।' कार्यकर्ताओं ने कहा, 'मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। उन्हें चूड़ियां पहनकर अपने घर बैठ जाना चाहिए। दिल्ली को हम देख लेंगे। हम यहां राजनीतिक विचारधाराओं से परे हटकर एक महिला होने के नाते स्वाति मालीवाल के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वाति खुद को अकेली ना समझें।

हम सभी उनके साथ हैं।' कार्यकर्ताओं ने कहा, 'केजरीवाल इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि देश में और भी ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। बेटे से गलती हो जाती है, जैसे बयान देने वाले मुलायम सिंह यादव के बेटे से उम्मीद भी क्या की जा सकती है।' प्रदर्शन में शामिल होने आई एक अन्य महिला ने सीएम केजरीवाल पर अपना रोष जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनके आवास पर एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी हो जाती है और वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं।

बीते दिनों स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को दो दफा फोन कर सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें पीटा गया है। घटना के दो दिन बाद उन्होंने बीते गुरुवार को इस संबंध में चुप्पी तोड़ते हुए आरोपी विभव कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत भी दी है।

प्लेआर के साथ सार्थक और स्वस्थ जीवन जिएं

नई दिल्ली.ओपन सर्च

अव्यवस्थित और गतिहीन जीवनशैली के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखना कितना जरूरी है। साथ ही, हम यह भी भूल जाते हैं कि अपने लिए सही ब्रांड चुनना कितना महत्वपूर्ण है जो हमारी जीवनशैली को बेहतर करे और उन्नत बनाए। अग्रणी जीवनशैली और खेल ब्रांड प्लेआर विभिन्न श्रेणियों में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। वैश्विक स्तर पर 350 से अधिक खुदरा स्टोरों में अपनी उपस्थिति के साथ, प्लेआर का लक्ष्य उपभोक्ताओं को एक स्वस्थ और अधिक सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण जीवनशैली जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्लेआर का लक्ष्य हमेशा खिलाड़ी प्रथम पर ध्यान केंद्रित करना रहा है और उनका नारा लेट्स प्ले ऐसे उत्पाद बनाने एवं लोगों को उपलब्ध कराने का वादा करता है जो उपभोक्ताओं को स्टाइल एवं कंफर्ट में रीयल फील कराए। उनके उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में टी-शर्ट, जर्सी, जैकेट, शॉर्ट्स, ट्रैकसूट जैसे परिधान के अलावा बैट, गेंद, दस्ताने, पैड जैसे उपकरण; पहाड़, शहर, हाइब्रिड और सड़क पर चलने वाली साइकिलें; सामान में बैग, योगा मैट, बोतलें आदि सीमित-संस्करण वाली वस्तुएं शामिल

हैं। साइकिल - प्लेआर ने आधुनिक तकनीक और उत्कृष्ट शिल्प कौशल को एकीकृत करने वाली अत्याधुनिक साइकिलें बनाई हैं। उनकी साइकिलों की कीमत 11,899 रुपए से लेकर 21,599 रुपए की रेंज में है। एटम अलॉय, बीएफएफ, बीएफएफ फैट, क्रू, स्कोर और स्टैलियन बाइक सहित विभिन्न आकारों में बाइक की छह अलग-अलग श्रेणियां में साइकिल उपलब्ध हैं।

जीएचबी फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने निःशुल्क अंतिम मोक्ष यात्रा वाहन को जनता को किया समर्पित

ओपन सर्च. संवाददाता

मुख्य अतिथि परम पूज्य गुरुदेव रामकृपाल जी महाराज एवं विशिष्ट अतिथि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की पार्टी प्रत्याशी डॉली शर्मा ने संयुक्त रूप से अंतिम मोक्ष यात्रा वाहन जनता को किया समर्पित

गाजियाबाद। शुक्रवार को प्राचीन संकटमोचन श्री हनुमान मंदिर, वसुंधरा सेक्टर 16-बी के प्रांगण में जीएचबी फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज, परम पूज्य गुरुदेव रामकृपाल जी महाराज एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी डॉली शर्मा ने संयुक्त रूप से एनजीओ जीएचबी फाउंडेशन के निःशुल्क अंतिम मोक्ष यात्रा वाहन को जनता को समर्पित किया।

बता दें कि जीएचबी फाउंडेशन के सौजन्य से और अध्यक्ष नरेन्द्र भारद्वाज एवं सचिव डॉली शर्मा के संयुक्त प्रयास से फाउंडेशन के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं युवा उद्यमी सचिन भारद्वाज, डायरेक्टर, फॉक्स स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप की पावन स्मृति में निःशुल्क अंतिम मोक्ष यात्रा वाहन की शुरूआत जनता की सुविधा के लिए आज से की गई है। इससे पूर्व इसी संस्था द्वारा पिछले वर्ष 11 सितंबर 2023 को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा जनता की सेवा में समर्पित की गई थी, जो निरन्तर कार्य कर रही है और इससे हजारों रोगियों को फायदा मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्गार प्रकट करते हुए परम पूज्य गुरुदेव रामकृपाल जी महाराज ने कहा कि सचिन भारद्वाज एक सच्चे समाजसेवक थे, इसलिए उनकी याद में शुरू की गई निःशुल्क अंतिम मोक्ष यात्रा वाहन सेवा उनकी स्मृति को जनता में बनाए रखेगी। वहीं, उनकी याद में शुरू की गई निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी लोगों के लिए उपादेय साबित हो रही है, जिसे और विस्तार देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी याद में हमलोग सदैव कुछ न कुछ जनहितकारी कार्य करते रहें, यही उनका सच्चा अनुशीलन होगा।

वह सदैव शांति के सागर में वास करें, यही हमारी सदकामना है, अहर्निश प्रार्थना है। वहीं, विशिष्ट अतिथि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी डॉली शर्मा ने सजल नयनों से अपने छोटे भाई की गौरव गाथा को याद करते हुए कहा कि वह जहां भी होगा, अच्छा से होगा, ऐसी हमारी धारणा है, क्योंकि उसने सदैव लोगों की भलाई की है। उसकी बिटिया अनन्या भारद्वाज के रूप में उसकी याद सदैव हमारे जेहन में बनी रहती है। उन्होंने अपने पिता नरेंद्र भारद्वाज के समाजसेवी कार्यों, लोकोपयोगी भावों को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि हमलोग हमेशा उनकी बातों का अनुशरण करते हैं। आगे भी जहां तक संभव होगा, गाजियाबाद के लोगों की भलाई करते रहेंगे। वहीं, फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने अपने पुत्र सचिन भारद्वाज की स्मृतियों के जुड़े पन्नों को टटोलते हुए कहा कि लोगों की सेवा करने का जो जज्बा हमने उसके दिल में देखा है, वही भाव देश के हर युवाओं में पैदा हो, इसके लिए हमलोग उसकी स्मृति में जनहितैषी कार्य करते रहेंगे।

केजरीवाल के निजी सचिव बिभव को राष्ट्रीय महिला आयोग ने फिर जारी किया नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसी)

राष्ट्रीय महिला आयोग ने आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव को एक बार फिर नोटिस जारी कर शनिवार को पेश होने को कहा है। अगर वे कल भी पेश नहीं होते तो आयोग के सदस्य उसके घर जाकर उनसे सवाल जवाब करेंगे। शुक्रवार को उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पेश होना था लेकिन वे पेश नहीं हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कहा, 'जब हमने सोशल मीडिया पर यह देखा तो हमने स्वतः संज्ञान लिया। मैंने स्वाति मालीवाल से शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया। मुझे लगता है वह सदमे में थी क्योंकि कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि उन्हें अपने नेता के आवास पर इस तरह से पीटा जाएगा। वह एक सांसद हैं जो हमेशा महिलाओं के मुद्दों को उठाती रही हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ हूं, और आप बाहर आएं और शिकायत करें काफी देर तक सोचने के बाद उसने शिकायत दर्ज कराई।' रेखा शर्मा ने कहा कि हमने विभव को नोटिस भेजा है, लेकिन उनकी पत्नी ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए हमने वह नोटिस उनके दरवाजे पर चिपका दिया।

मल्टीपर्पस ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड
(CIN NUMBER- L70101DL2002PLC115544)
पंजी. कार्या: बी-1, कालंदी कॉलोनी, नई दिल्ली-110065
फोन/फैक्स: 011-26316162, 011-26919899
वेबसाइट: www.multipurposetrading.in
ई-मेल: info@multipurposetrading.in

बोर्ड मीटिंग की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुपालन में मल्टीपर्पस ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, 30 मई 2024 को प्रातः 11:30 बजे कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय डी-2, कालंदी कॉलोनी, नई दिल्ली-110065 में होगी, जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त कम्पनी की तिमाही/छमाही और वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर बोर्ड की सहमति एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मामलों को मंजूरी दी जायेगी। इससे संबंधित मामलों की जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.multipurposetrading.in और स्टॉक एक्सचेंज www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते मल्टीपर्पस ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड
हस्ता./-
आशीष सिंह
प्रबंध निदेशक

दिनांक: 18/05/2024
स्थान: दिल्ली